राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांकः 116 /रा.नि.आ.अनु03/612/2005

दिनांक 03-05-2010

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

विज्ञप्ति

आदर्श आचार संहिता

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जिला योजना समितियों के निर्वाचन की अधिसूचना संख्या–112/रा0नि0आ0अनु0–3/612/2005 दिनांक 03 मई, 2010 जारी कर दी गई है। अतः अधिसूचना जारी होने की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। इस अवधि मेंः–

1– अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतदान, मतगणना एवं परिणाम घोषित होने की तिथि तक निर्वाचन कार्यों मे लगे हुए किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यदि कोई स्थानान्तरण पूर्व में किया गया हो किन्तु क्रियान्वित नहीं हुआ हो, तो इस अवधि में कोई भी कार्मिक कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पंचायत एवं नगर निकायों द्वारा कोई नवीन नियुक्तियां नहीं की जायेंगी।

2– मा0 मन्त्रीगणों द्वारा जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को उक्त अवधि में किसी प्रकार का भोज, उपहार आदि नहीं दिया जायेगा तथा निर्वाचक एवं उम्मीदवार द्वारा भी किसी प्रकार का उपहार, भेंट आदि स्वीकार नहीं किया जायेगा व किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नयी योजनाओं की घोषणा नहीं की जायेगी न ही योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्‌घाटन किया जायेगा।

3– उक्त अवधि में जिला पंचायत, नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों की ऐसी बैठकें आयोजित नहीं की जायेगी जिनमें वित्तीय स्वीकृतियां एवं नई योजनाएं निहित हैं और न ही इन संस्थाओं द्वारा किन्हीं नयी योजनाओं की घोषणा एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।

4– वर्तमान समय में यदि जनपदों में जिला योजनाओं के संचालन हेतु किसी प्रकार की कार्यकारी समिति कार्यरत हो तो उसके द्वारा उस किसी भी कार्य का सम्पादन नहीं किया जायेगा जो जिला योजना समिति के अधिकार तथा उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

उक्त आचार संहिता जिला योजना समिति से सम्बन्धित निर्वाचकों, उम्मीदवारों तथा कार्मिकों पर भी समान रूप से प्रभावी होगी।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या116(1)/रा0नि0आ0अनु0–3/612/2005 तद्‌दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, कुमायूँ मण्डल।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

क्रमशः.............2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी वाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

6. प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें।
12. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून/नजीबाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने केन्द्रों से प्रसारण कराने का कष्ट करें तथा न्यूज चैनल्स को निःशुल्क प्रसारण हेतु भेज दें।
13. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
15. निजी सचिव, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
17. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
19. गार्ड फाइल, अनुभाग–3

03/05/10

(एच0बी0थपलियाल)
संयुक्त सचिव।

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

पत्रांकः 127 /रा.नि.आ.अनु०-3/612/2005

दिनांक 05-05-2010

राज्य निर्वाचन आयोग

विज्ञप्ति

आदर्श आचार संहिता

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जिला योजना समितियों के निर्वाचन की अधिसूचना संख्या–112/रा0नि0आ0अनु0–3/612/2005 दिनांक 03 मई, 2010 जारी करने के पश्चात जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन में पारदर्शिता बनाये रखने एवं निष्पक्ष, स्वच्छ तथा भयमुक्त निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से विज्ञप्ति संख्या–116/रा0नि0आ0अनु0–3/612/2005 दिनांक 03 मई, 2010 द्वारा "आदर्श आचार संहिता" प्रभावी की गयी है।

उक्त आचार संहिता के प्रस्तर–दो को संशोधित करके निम्न प्रकार पढ़ा जायः–

"जिला पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा जिला योजना समिति के सदस्यों के पदों के उम्मीदवारों द्वारा उक्त अवधि में किसी प्रकार का भोज, उपहार आदि नहीं दिया जायेगा तथा निर्वाचक एवं उम्मीदवार द्वारा भी किसी प्रकार का उपहार, भेंट आदि स्वीकार नहीं किया जायेगा व किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जायेगी और न ही नई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जायेगा परन्तु पूर्व स्वीकृत एवं चालू तथा भारत सरकार द्वारा संचालित–गरीबी उन्मूलन, रोजगार, आवासीय तथा कृषकों के लाभार्थ संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।"

उपरोक्त के अलावा दैवीय आपदा एवं आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था हेतु किये जाने वाले कार्यो पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या–116/रा0नि0आ0अनु0–3/612/2005 दिनांक 03 मई, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

<u>संख्या 127(1)/रा0नि0आ0अनु0–3/612/2005 तद्दिनांक।(फैक्स)</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, कुमायूँ मण्डल।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

क्रमशः.............2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी वाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

6. प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें।
12. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून/नजीबाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने केन्द्रों से प्रसारण कराने का कष्ट करें तथा न्यूज चैनल्स को निःशुल्क प्रसारण हेतु भेज दें।
13. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
15. निजी सचिव, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
17.. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
19. गार्ड फाइल, अनुभाग–3

05/05/10

(एच0बी0थपलियाल)
संयुक्त सचिव।